शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल– registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2–1–2/406/संबद्धता/2022/483 रायगढ़, दिनाँक 08.07.2022

//आदेश//

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अनुमति पत्र क्र. एफ 17–77/2022/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10.06.2022 एवं विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2–1–2/406/संबद्धता निरीक्षण/2022/459 रायगढ़, दिनांक 04.07.2022 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर जगरानी देवी महाविद्यालय, बाराद्वार जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2022–23 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है :–

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	एम.ए. पूर्व, नवीन विषय (गणित)	40–सीट
02	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (माईक्रोबायोलॉजी एवं बायोटक्नोलॉजी)	60–सीट

निर्धारित शर्ते :–

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तो का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तो का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमानुसार पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तके क्रय किया जावे।

उल्लेखित शर्तो का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 10.08.2022 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2–1–2/406/संबद्धता/2022/484 रायगढ़, दिनाँक 08.07.2022

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, जगरानी देवी महाविद्यालय, बाराद्वार जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)